रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 1976/माघ 20, 1897

No. 34] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 1976/MAGHA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th February 1976

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the period April* 1975—*March* 1976. (*Amendment/Correction*).

No. 14-ITC(PN)/76.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book Volume II) for the period April 1975—March 1976 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC(PN)/75 dated the 7th April, 1975.

2. The following corrections/amendments may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Correction/Amendment
1	2	3
21	*Section I Part B Para* 44 (1) (*d*)	Following item may be added after the existing entry (xvi) :— "(xvii) Resorcinol."

1	2	3
54	*Section I Part E Para* 1(*iv*)	The existing sub para may be substituted by the following :— "Public Sector Undertakings, State owned Corporations or Statutory bodies set up by Government will be exempt from registration with the concerned Registering Authorities for the purpose of grant of benefits under this policy."
125.	*Section II B 16.2 (iii)Cols. 2 and 5.*	The existing description of the export product may be amended to read as under:— "Dye Intermediates (viz, Anthraquinone and its derivatives, and Resorcinol)". The following may be added in Col. 5 :— "Direct exports of Resorcinol will not qualify for import replenishment. This provision is intended only for supplies made under approved arrangements."
138	*Section II B.* 61·1 *Col.* 4	The following may be added after the existing entr (m) :— "(n) Resorcinol (2%)."
139	*Section II B.* 61·2 *Col.* 4	The following may be added after the existing entry (k) :— "(1) Resorcinol (2%)."

P.K. KAUL,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1976

विषय :—अप्रैल, 1975 मार्च, 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन / शुद्धि).

संख्या 14 आई० टी० सी० (पी० एन०) 76.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 21-आई टी सी (पीएन)/75, दिनांक 7 अप्रैल, 1975 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1975 मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक वा० 2) में यथा निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित शुद्धियां/संशोधन नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रैड बुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	शुद्धि/संशोधन
1	2	3
21	खंड-1 भाग 'बी' कंडिका 44(1)(डी)	निम्नलिखित मद को वर्तमान प्रविष्टि (16) के बाद जोड़ा जाए:— "(17) रेजारसिनौल"

1	2	3
54	खंड–1	वर्तमान उप-कंडिका को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—
	भाग ई	
	कंडिका 1 (4)	"इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान, राज्य द्वारा लिए गए निगम एवं सरकार द्वारा स्थापित वैधानिक संस्थाएं सम्बद्ध पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकरण कराने से मुक्त होंगी।"
125	खंड–2	निर्यात उत्पाद के वर्तमान विवरण को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :—
	बी 16 2 (3)	
	कालम 2 एवं 5	"मध्यस्थ रंग (अर्थात एन्थ्राक्यूनोन और इससे व्युत्पन्न पदार्थ रेजारसिनोल)"
		निम्नलिखित को कालम 5 में जोड़ा जाए:—
		रेजारसिनोल के सीधे निर्यात आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यह व्यवस्था अनुमोदित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किए गए संभरणों के लिए ही है।"
138	खंड–2	वर्तमान प्रविष्टि (एम) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—
	बी–61.1	"(एन) रेजारसिनोल (2 प्रतिशत)"
	कालम–4	
139	खंड -2	वर्तमान प्रविष्टि (के) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—
	बी. 61.2	"(आई) रेजारसिनोल (2 प्रतिशत)"
	कालम 4.	

पी० के० कौल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976